प्रेस नोट- 44

दिनांक- 17.01.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध तमंचा रखने के अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियो के विरुध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगो में **Operation Conviction** अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी /न्यायालय पैरोकार एवं मानीटिरिग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 413/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के अभियुक्त सुनिल दीक्षित पुत्र रामनेवल नि0 गडेहरी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एफटीसी द्वितीय रायबरेली द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 17.01.2025 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा नि0 श्री विश्वनाथ यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा अभियुक्त के पास अवैध तमंचा बरामद होने पर दिनांक 26.09.2020 को समय 04.30 बजे थाना मोहनगंज पर मु0अ0सं0 413/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 सुरेश चन्द्र यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-403 दिनांक 15.11.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।